

राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक

84 / सवाई माधोपुर / 2010-11

यह प्रमाणित किया जाता है कि मन्थन राजस्थान, सवाई माधोपुर

..... जिला, सवाई माधोपुर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत
रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक रजिस्ट्रीकरण

माह सितम्बर सन् को जारी किया गया।



रजिस्ट्रार संस्थाएं
सवाई माधोपुर

नाम संस्था— मन्थन संस्थान, सवाईमाधोपुर

संशोधित संघ विधान पत्र

- 1— समिति का नाम : इस समिति का नाम मन्थन संस्थान, सवाईमाधोपुर है व रहेगा।
- 2— पंजीकृत कार्यालय तथा : इस समिति का पंजीकृत कार्यालय— 166, राजविहार कालोनी, दशहरा मैदान, सवाईमाधोपुर है तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 3— संस्था के उद्देश्य : इस समिति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-



1. शिल्पकारों के उत्थान हेतु सहयोग प्रदान करना।
2. स्वास्थ्य सुधार हेतु गतिविधियों का आयोजन करना।
3. वन संरक्षण एवं वन्य जीवों को बचाने हेतु कार्य करना।
4. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना।
5. काष्ठ के क्षेत्र में शिल्पकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
6. काष्ठ के क्षेत्र में अनुसंधान एवं सर्वे से संबंधित गतिविधियों को सम्पादित करना।
7. काष्ठ मेलों का आयोजन करना तथा प्रदर्शनियों का आयोजन करना।
8. काष्ठ के विकास हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना।

अध्यक्ष

9461362115

9925876072

रितुराज सोलंकी
कोषाध्यक्ष

9530256006

- 9 महिलाओ के लिये लघु उधोग स्थापित करवाने में मदद करना।
- 10 शिक्षा सुधार हेतु कार्य करना।
- 11 बालिका भ्रूण हत्या रोकने तथा बालिका विकास हेतु कार्य करना।
- 12 जन सरंक्षण हेतु कार्य करना।
- 13 विकलांगो के उत्थान हेतु सहयोग प्रदान करना।
- 14 शिल्पकारो को राज्य एवं केन्द्र सरकार की परियोजनाओ से लाभान्वित करवाना।
- 15 जनसंख्या रोकथाम हेतु प्रयास करना एवं समाज में इस हेतु जागरुकता लाना।

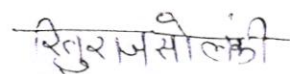
उपरोक्त उद्देश्यो की पूर्ति में कोई लाभ निहित नही है।



अध्यक्ष



मंत्री

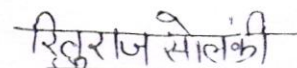

कोषाध्यक्ष

4- इस समिति का कार्यभार समिति के नियमानुसार एक कार्य समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित है :-

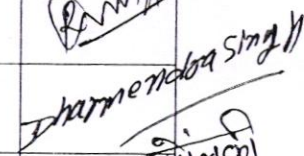
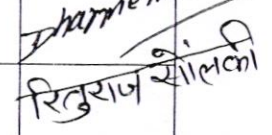
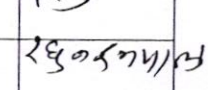
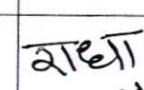
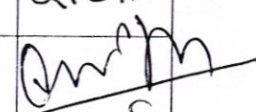
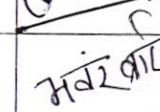
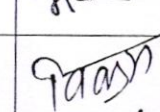
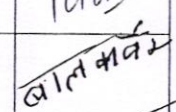
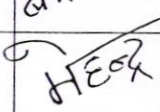
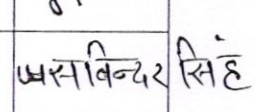
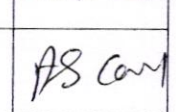
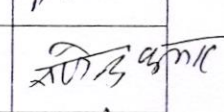
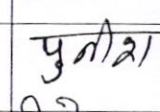
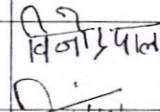
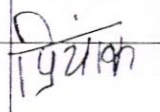
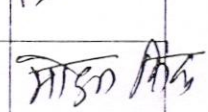
क्र.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्णपता	पद
1	श्री रामसिंह पुत्र श्री रामजीलाल	निजी कार्य	ग्राम - दातासूती तह0 वामनवास जिला सवाईमाधोपुर	अध्यक्ष
2	श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरपतसिंह	समाजसेवा	1/513 हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर	मन्त्री
3	श्रीमति रितुराज पति श्री सुरेन्द्र सिंह	अध्यापन	कोठार मोहल्ला, शाहपुरा जिला भीलवाडा	कोषाध्यक्ष
4	श्री रघुनन्दन पाल पुत्र श्री लखेन्द्र पाल	निजी कार्य	ग्राम -श्रीपुरा पोस्ट-हाडोती तह0 सपोटरा जिला करोली	सदस्य
5	श्रीमति राधाकवर पति श्री विशम्भर दयाल	निजी कार्य	2/350, हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर	सदस्य
6	श्री विजयपाल पुत्र श्री महेश पाल	निजी कार्य	10, हनुमान नगर सवाईमाधोपुर	सदस्य
7	श्रीमति भवर् बाई पति श्री रघुनन्दन पाल	निजी कार्य	2/350, हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर	सदस्य
8	श्री विक्रम पुत्र श्री समर	व्यापार	415, खीची निवास अजमेर	सदस्य
9	श्रीमति बालकवर पति श्री नरपतसिंह	निजी कार्य	247, बाहाण बस्ती, हिन्दुपुरा तह0बोली जिला सवाईमाधोपुर	सदस्य
10	श्री महेंद्र सिंह पुत्र श्री रघुनाथसिंह	निजी कार्य	247, बाहाण बस्ती, हिन्दुपुरा तह0बोली जिला सवाईमाधोपुर	सदस्य
11	श्री जसविन्दर सिंह पुत्र श्री पुरुषोत्तम सिंह	निजी कार्य	1/515, हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर	सदस्य
12	श्री असलम खान पुत्र सलामुददीन	व्यापार	पुरानी बस्ती, करमोदा सवाईमाधोपुर	सदस्य
13	श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्यामसुन्दर	व्यापार	1/119, हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर	सदस्य
14	श्री पुनीत पुत्र श्री सुन्दरलाल	फोटोग्राफर	हम्माल मोहल्ला सवाईमाधोपुर	सदस्य
15	श्री विनोद पाल पुत्र श्री महेश पाल	अध्यापन	1/246, हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर	सदस्य
16	श्री प्रियांक पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता	निजी कार्य	खाई रोड, नयापुरा 1 बी 9 एसएफएस कालोनी, कोटा	साधारण
17	श्री मोहन पुत्र श्री समर सिंह	व्यापार	133, वेण्व विहार, नागल जैसा बोहरा,झोटवाडा,जयपुर	साधारण

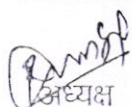

अध्यक्ष

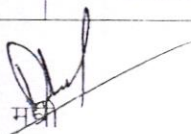

सचिव

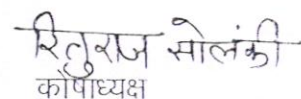

कोषाध्यक्ष

5— हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं। इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्णपता	वर्गीकरण	हस्ताक्षर
1	श्री रामसिंह पुत्र श्री रामजीलाल	निजी कार्य	ग्राम - दातासूती तह0 वामनवास जिला सवाईमाधोपुर	साधारण	
2	श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरपतसिंह	समाजसेवा	1/513 हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर	साधारण	
3	श्रीमति रितुराज पति श्री सुरेन्द्र सिंह	अध्यापन	कोटार मोहल्ला, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा	साधारण	
4	श्री रघुनन्दन पाल पुत्र श्री लखेन्द्र पाल	निजी कार्य	ग्राम - श्रीपुरा पोस्ट-हाडोती तह0 सपोटरा जिला करौली	साधारण	
5	श्रीमति रामाकवर पति श्री विशम्भर दयाल	निजी कार्य	2/350, हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर	साधारण	
6	श्री विजयपाल पुत्र श्री महेश पाल	निजी कार्य	10, हनुमान नगर सवाईमाधोपुर	साधारण	
7	श्रीमति भवर् बाई पति श्री रघुनन्दन पाल	निजी कार्य	2/350, हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर	साधारण	
8	श्री विक्रम पुत्र श्री समर	व्यापार	415, खीची निवास अजमेर	साधारण	
9	श्रीमति बालकवर पति श्री नरपतसिंह	निजी कार्य	247, बाहाण बस्ती, हिन्दुपुरा तह0 बोली जिला सवाईमाधोपुर	साधारण	
10	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रघुनाथसिंह	निजी कार्य	247, बाहाण बस्ती, हिन्दुपुरा तह0 बोली जिला सवाईमाधोपुर	साधारण	
11	श्री जसबिन्दर सिंह पुत्र श्री पुरुषोत्तम सिंह	निजी कार्य	1/515, हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर	साधारण	
12	श्री असलम खान पुत्र सलामुददीन	व्यापार	पुरानी बस्ती, करमोदा सवाईमाधोपुर	साधारण	
13	श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्यामसुन्दर	व्यापार	1/119, हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर	साधारण	
14	श्री पुनीत पुत्र श्री सुन्दरलाल	फोटोग्राफर	हम्माल मोहल्ला सवाईमाधोपुर	साधारण	
15	श्री विनोद पाल पुत्र श्री महेश पाल	अध्यापन	1/246, हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर	साधारण	
16	श्री प्रियांक पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता	निजी कार्य	खाई रोड, नयापुरा 1 बी 9 एसएफएस कालोनी, कोटा	साधारण	
17	श्री मोहन पुत्र श्री समर सिंह	व्यापार	133, वेण्णव विहार, नागल जैसा बोहरा, झोटवाड़ा, जयपुर	साधारण	


अध्यक्ष


महामंत्री


कापीधायक

18	श्री अवतार सिंह पुत्र श्री सुगन सिंह	व्यापार	2/109, आरएच बी कालोनी सवाईमाधोपुर	साधारण	ASingh
19	श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री चंदन सिंह	समाजसेवा	40/28, प्रतापनगर सांगानेर, जयपुर	साधारण	मनोहर
20	श्री लोकेन्द्र पुत्र श्री दिलिप	समाजसेवा	99, मुख्य बाजार, फलोदी सवाईमाधोपुर	साधारण	लोकेन्द्र
21	श्रीमति जगदीश पति श्री रामसिंह	समाजसेवा	111, दातासूती, जोगी मोहल्ला सवाईमाधोपुर	साधारण	जगदीश
22	श्रीमति प्रियदर्शिनी पति श्री वीरेन्द्र सिंह	समाजसेवा	ग्राम-गैरोली तह0 दूनी जिला टोक	साधारण	प्रियदर्शिनी

निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

1-

हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्णपता)

प्रधानाचार्य (सवाई माधोपुर)
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
बलरिया (सवाई माधोपुर)

2-हस्ताक्षर

अति.जिला शिक्षा अधिकारी

(नाम/व्यवसाय/पूर्णपता) (मा.) सवाई माधोपुर

रितुराज सोलंकी
का.अध्यक्ष

अध्यक्ष

मुख्य

नाम संस्था— मन्थन संस्थान, सवाईमाधोपुर

संशोधित संघ विधान नियमावली

1— समिति का नाम : इस समिति का नाम मन्थन संस्थान, सवाईमाधोपुर है व रहेगा।

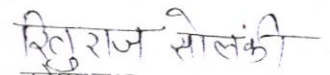
2— पंजीकृत कार्यालय तथा : इस समिति का पंजीकृत कार्यालय— 166, राजविहार कालोनी, देशहर मैदान, सवाईमाधोपुर है तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य क्षेत्र तक सीमित होगा।

3— संस्था के उद्देश्य : इस समिति के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

1. शिल्पकारों के उत्थान हेतु सहयोग प्रदान करना।
2. स्वास्थ्य सुधार हेतु गतिविधियों का आयोजन करना।
3. वन संरक्षण एवं वन्य जीवों को बचाने हेतु कार्य करना।
4. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना।
5. काप्ट के क्षेत्र में शिल्पकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
6. काप्ट के क्षेत्र में अनुसंधान एवं सर्वे से संबंधित गतिविधियों को सम्पादित करना।
7. काप्ट मेंलो का आयोजन करना तथा प्रदर्शनियों का आयोजन करना।
8. काप्ट के विकास हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना।


अध्यक्ष


सूत्री


कोषाध्यक्ष

- 9 महिलाओ के लिये लघु उधोग स्थापित करवाने में मदद करना।
- 10 शिक्षा सुधार हेतु कार्य करना।
- 11 बालिका भ्रूण हत्या रोकने तथा बालिका विकास हेतु कार्य करना।
- 12 जन संरक्षण हेतु कार्य करना।



विकलांगो के उत्थान हेतु सहयोग प्रदान करना।

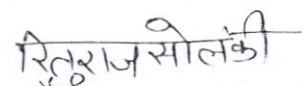
14 शिल्पकारो को राज्य एवं केन्द्र सरकार की परियोजनाओ से लाभान्वित करवाना।

- 15 जनसंख्या रोकथाम हेतु प्रयास करना एवं समाज में इस हेतु जागरूकता लाना।

उपरोक्त उद्देश्यो की पूर्ति में कोई लाभ निहित नही है।


अध्यक्ष


मंत्री


कोषाध्यक्ष

4- सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।

- 1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हो।
- 2- बालिग न हो
- 3- पागल व दिवालिया न हो।
- 4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हो।
- 5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो।

5- सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत भी किया जा सकेंगे।



- 1- संरक्षक
- 2- सम्माननीय
- 3- विशिष्ट
- 4- साधारण

6- सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा।

- 1- संरक्षक राशि 2000/- रुपये वार्षिक
- 2- विशिष्ट राशि 1000/- रुपये वार्षिक
- 3- सम्माननीय राशि 500/- रुपये वार्षिक
- 4- साधारण राशि 51/- रुपये वार्षिक

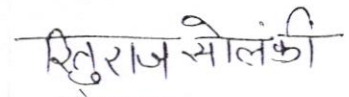
(उक्त राशि एक मुश्त रू० उक्तानुसार की मासिक दर से जमा कराई जा सकेगी)

7- सदस्यता से निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा।

- 1- मृत्यु होने पर।
- 2- त्याग पत्र देने पर।


अध्यक्ष


संस्था


कोषाध्यक्ष

3- संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर

4- प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर
अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के
निर्णय हेतु वेद्य समझे जावेगी तथा साधारण सभा के
बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

- 8- साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त
प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।
- 9- साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य
होगे।



1- प्रबन्ध कार्यकारिणी का चुनाव करना

2- वार्षिक बजट पारित करना।

3- प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व
पुष्टि करना।

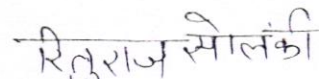
4- संस्था के कुल सदस्य 2/3 के विधान में संशोधन परिवर्तन
करना। रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर
प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा।

10- साधारण सभा की बैठके

- 1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक
अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष/मन्त्री
द्वारा तभी विशेष सभा भी बुलायी जा सकेगी।
- 2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3
होगा।
- 3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना
3 दिन पूर्व दी जावेगी।
- 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 3
दिन पश्चात निर्धारित


अध्यक्ष


सूत्री


कोषाध्यक्ष

स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व ऐजेण्डा में थे।

- 5— संस्था के 1/3 अथवा 07 सदस्य इनमें से जो भी कम हो लिखित आवेदन करने पर मन्त्री/अध्यक्ष द्वारा एक माह के अन्दर अन्दर बैठक न बुलाई जाने पर उक्त 3 सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य नोटिस जारी कर सकेगा। तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11— कार्यकारिणी का गठन



संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्ध कार्यकारिणी का गठन किया जावेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे.

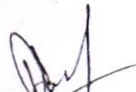
1—	अध्यक्ष	—	1
2—	मन्त्री	—	1
3—	कोषाध्यक्ष	—	1
4—	सदस्य	—	14

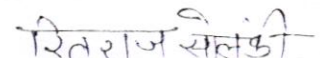
(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावे तो यहाँ अंकित करे, कम करना चाहे तो कम रख लें) इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 3 पदाधिकारी व 14 सदस्य कुल 17 सदस्य होंगे।

12— कार्यकारिणी का निर्वाचन

- 1— संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा
- 2— चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
- 3— चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी


अध्यक्ष


मन्त्री


कोषाध्यक्ष

13- कार्यकारिणी के अधिकार :
और कर्तव्य

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार
और कर्तव्य होंगे

- 1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना ।
- 2- आर्थिक बजट तैयार करना ।
- 3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना ।
- 4- वेतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना
- 5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना ।
- 6- कार्य व्यवस्था हेतु उपसमितियाँ बनाना
- 7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना ।

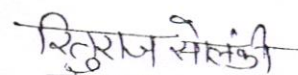
14- कार्यकारणी की बैठकें



- 1- कार्यकारणी की वर्ष में कम से कम पाँच बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी
- 2- बैठक का कोरम प्रबन्धक कारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगी ।
- 3- बैठक की सूचना प्रायः सात दिन पूर्व दी जावेगी तथा आत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है ।
- 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दुसरे दिन निर्धारित दिन व समय पर होगी । ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा ।


अध्यक्ष


मन्त्री


काँषाध्यक्ष

15- प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों : संस्था की प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे ।

1- अध्यक्ष

1- बैठको की अध्यक्षता करना ।

2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना

3- बैठके आहूत करना ।

4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना ।

5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना ।

6- अन्य

2- मन्त्री -

1- बैठक आहूत करना ।

2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना ।

3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना ।

4- वेतनिक कर्मचारियां पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना ।

5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजो पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना ।

6- पत्र व्यवहार करना ।

7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु अन्य कार्य जो आवश्यक हो ।

3- कोषाध्यक्ष

1- वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना ।

2- दैनिक लेखो पर नियन्त्रण रखना ।

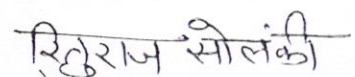
3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना

4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना ।




अध्यक्ष


मन्त्री


कोषाध्यक्ष

- 4- उपाध्यक्ष
- !- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना।
- 5- मंहामंत्री
- 1- मंत्री की अनुपस्थिति में कार्य करना।

16- संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा

- 1- चन्दा
- 2- शुल्क
- 3- अनुदान
- 4- सहायता
- 5- राजकीय अनुदान

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जावेगी



2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन सम्भव होगा।

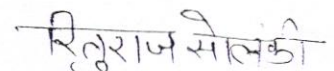
17- कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार : संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे

- 1- अध्यक्ष 1101/- रुपये
- 2- मन्त्री 701/- रुपये
- 3- कोषाध्यक्ष 501/- रुपये

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा।


अध्यक्ष


मंत्री


कोषाध्यक्ष

143

- 18- संस्था का अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखे-जोखे का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।
- 19- संस्था के विधान में परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा। जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।
- 20- संस्था का विघटन : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त कार्यवाही राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के तहत अनुरूप होगी।
- 21- संस्था के लेखे-जोखे का निरीक्षण : रजिस्ट्रार संस्थायें सवाईमाधोपुर को संस्था का निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा। व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।
- 22- धारा 4 क का प्रावधान : संस्था प्रति वर्ष धारा 4 क की सूचना रजिस्ट्रार सवाईमाधोपुर को प्रेषित करती रहेगी प्रमाणित किया जाता है उक्त विधान (नियमावली) मन्थन संस्थान, सवाईमाधोपुर की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।



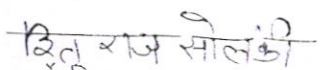
राजस्थान सोसायटी अधिनियम 1958 की धारा 19 के अन्तर्गत यह प्रमाणित किया जाता है कि यह पत्रादि संस्था के संबंध में प्रस्तुत किये गये पत्र, जो कार्यालय की पत्रावली में पृष्ठ सं. 130 से 143 तक उपलब्ध है, की प्रमाणित प्रति है।
प्रमाणित प्रति देने की दिनांक

नकल तैयार करने वाले के
हस्ताक्षर 17-5-2016

रजिस्ट्रार संस्थाएँ
सवाई माधोपुर


अध्यक्ष


मंत्री


जॉयंट सचिव